दिनांक 25.05.2022 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का कार्यवृत्त ।

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवं उद्यमियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया। दिनांक 26.11.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

1. मिनी औद्यौगिक आस्थान भटवाडीसैंण की अद्यतन स्थितिः–

(I) महाप्रबन्धक द्वारा समिति को मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग में आंवटित भूखण्डों, कार्यरत इकाई एवं रिक्त भूखण्डों की स्थिति से अवगत कराया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा मिनी औद्योगिक आस्थान में विगत वर्षों में आवंटित भूखण्डों पर शीघ्र कार्यशाला निर्माणकर इकाई स्थापित करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग एंव इकाईयों को निर्देशित किया गया। जो इकाईयॉ बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण हो रही हैं उन्हें शीघ्र बैंक की औपचारिकतायें पूर्ण करने तथा जिन इकाईयों को दस्तावेज सम्बन्धी समस्यायें आ रही हैं उन्हें अग्रणी बैंक प्रबन्धक से समन्वय स्थापित कर उनका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग / जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, सम्बन्धित इकाई)

(II) महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया कि मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग में विकसित भूखण्डों के अतिरिक्त कुछ भूमि व्यवसायिक प्रयोजन हेतु अविकसित हैं, जोकि दुकानें, वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 469.80 वर्ग मी0 है। इसमें कार्यालय का ट्रांसफार्मर, पानी का टैंक भी स्थापित है। पानी के टैंक से लगी भूमि जो कि त्रिभुजाकार आकार में है (क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर) को भरकर वाहन पार्किंग के लिये उपयोग में लाया जा सकता है तथा अवशेष 280.80 वर्गमीटर भूमि उद्योग प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। अध्यक्ष महोदय द्वारा उद्योग निदेशालय से उक्त सम्बन्ध में पत्राचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग)

2. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृतिः–

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

3. मिनी औद्यौगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्यायेंः–

1. महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है मिनी औद्योगिक आस्थान, भटवाड़ीसैंण में कई विगत वर्षों से पेयजल की समस्या रहती थी, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल

संस्थान को आंकलन तैयार कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये थे, जिस क्रम में जल संस्थान से रु. 07.57 लाख का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हुआ था। तदोपरान्त विभाग द्वारा जल संस्थान को धनराशि आवंटित करते हुए, ससमय कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही मिनी औद्योगिक आस्थान में रात्रि के समय सड़को अंधेरा रहता था, जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा उरेडा विभाग को आंकलन तैयार कर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये थे, जिस हेतु उरेडा विभाग द्वारा सौर संचालित स्ट्रीट लाइटों हेतु रु. 01.89 लाख का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हुआ था। तदोपरान्त विभाग द्वारा उरेडा विभाग को धनराशि आवंटित करते हुए, ससमय कार्य को पूर्ण कर लिया गया है।

2. महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाईयों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिला उद्योग मित्र समिति में दो औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी नामित किया जाना है, जिस हेतु समिति द्वारा एक प्रतिनिधि मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण से नामित करने एवं एक प्रतिनिधि जनपद के होटल व्यवसाय से जुड़े संगठन से नामित करने का सुझाव दिया। उक्त कार्यवाही हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग एवं औद्योगिक संगठनों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग /औद्योगिक संगठन मि.औ.आ./होटल संगठन)

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति– 2015 के तहत् औद्योगिक इकाइयों को उपादान स्वीकृतिः–

(क) <u>ब्याज उपादानः–</u>

उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात–दो/15/146– एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी–ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम् रू. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धनराशि या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
1. मै. चार मचान रिसोर्ट भेतसेंम, गुप्तकाशी	सावधि ऋण	100.00	09.90	01.10.21 से 31.12.21	1,98,185.00	–	1,98,185.00
				01.01.22 से 31.03.22	1,77,776.00	–	1,77,776.00
				योगः–	**3,75,961.00**		**3,75,961.00**
2. मैसर्स द टूरिया हैली रिसोर्ट जामू, फाटा	सावधि ऋण	67.50	9.40	01.10.21 से 31.12.21	1,39,698.00	–	1,39,698.00
				01.01.22 से 31.03.22	1,30,982.00	–	1,30,982.00
				योगः–	**2,70,680.00**		**2,70,680.00**

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धनराशि या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
3. मै. होटल एडं रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड, झिरमोली , रुद्रप्रयाग	सावधि ऋण	82.50	09.90	01.10.21 से 31.12.21	1,80,884.00	—	1,80,884.00
				01.01.22 से 31.03.22	1,54,053.00	—	1,54,053.00
				योग:—	**3,34,937.00**		**3,34,937.00**
4. मै. रुद्रा बेकर्स, भटवाड़ीसैंण रुद्रप्रयाग	सावधि ऋण	40.00	10.65	01.10.21 से 31.12.21	95,660.00	5,838.00	89,822.00
				01.01.22 से 31.03.22	84,119.00	5,134.00	78,985.00
				योग:—	**1,79,779.00**	**10,972.00**	**1,68,807.00**
				महायोग:	**11,61,357.00**	**10,972.00**	**11,50,385.00**

समिति द्वारा उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों को एम.एस.एम.ई. योजना 2015 के अन्तर्गत, ब्याज उपादान योजनान्तर्गत वर्णित की धनराशि स्वीकृत की गई।

4. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचारः—

महाप्रबन्धक द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत किसी भी इकाई के सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं हुये है।

अन्त में बैठक का समापन करते हुए उपस्थित अधिकारियों एवं उद्यमियों का सधन्यवाद ज्ञापित किया गया।

26/5/22

(एच.सी.हटवाल)
महाप्रबन्धक,जि.उ.के.रुद्रप्रयाग
एवं सदस्य सचिव जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
एवं अध्यक्ष, जि.उ.मि.समिति
रुद्रप्रयाग।

।। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र रुद्रप्रयाग।।

पत्रांक 1020-45 जि.उ.के. / जि.उ.मि. / 2022–23 दिनांकः मई 2 ,2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सम्बन्धित विभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया निर्धारित समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि आगामी जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में समिति के समक्ष कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य विकास अधिकारी, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
8. अग्रणी बैंक प्रबन्धक, रुद्रप्रयाग।
9. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान रुद्रप्रयाग।
10. मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
11. जिला उद्यान अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
12. जिला पर्यटन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रुद्रप्रयाग।
14. अधि. अभियन्ता पेयजल निगम, रुद्रप्रयाग
15. जिला अग्निशमन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
16. अधि. अभि. लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
17. जिला सेवायोजन अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
18. मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
19. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।
20. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
21. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
22. परियोजना निदेशक, उरेडा रुद्रप्रयाग।
23. जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
24. इकाई मिनी औद्योगिक आस्थान भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
25. इकाई (एमएसएमई नीति ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता) जनपद रुद्रप्रयाग।

महाप्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
रुद्रप्रयाग।

दिनांक 25.05.2022 को मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र/उप समिति तथा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम की बैठक की उपस्थिति।

1. श्री नरेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
2. श्री एच.सी. हटवाल, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुद्रप्रयाग।
3. श्री मुकेश सिंह चौधरी, सहायक कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
4. श्री शाकिब हुसैन, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. श्री डी.एस. डुंगरियाल, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, रुद्रप्रयाग।
6. श्री मनोज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, रुद्रप्रयाग।
7. श्री सूरज सिंह राणा, कनिष्ठ अभियन्ता, जल संस्थान, रुद्रप्रयाग।
8. श्री निर्भय सिंह, अधिशासी अभियन्ता,प्रा.ख., लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग।
9. श्री महावीर सिंह रावत, उद्यान विभाग, रुद्रप्रयाग।
10. श्री संदीप कुमार, परियोजना अधिकारी, उरेडा, रुद्रप्रयाग।
11. श्री रती लाल शाह, जिला सूचनाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
12. श्री गोविन्द राम टम्टा, सहायक प्रबन्धक, समाज कल्या विभाग, रुद्रप्रयाग।
13. श्री किशन सिंह रावत, अनुदेशक, जिला सेवायोजन विभाग, रुद्रप्रयाग।
14. श्री कृष्ण प्रताप सिंह, पर्यटन विभाग, रुद्रप्रयाग।
15. श्री पूरन सिंह नेगी, मै. सूजल बेकर्स, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
16. श्री राकेश थपलियाल, मै. शिवालिक नेचुरल फूड प्राडेक्ट, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
17. श्री प्रमोद सिंह, मै. मन्दाकिनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्र, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
18. श्री महेशानन्द जोशी, मै. जोशी फर्नीचर एडं डेकोरेटर, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
19. श्रीमती रंजना रावत, मै. गढ़माटी इंटरप्राइजेज, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
20. श्री अरुण चमोला, मै. रुद्रा वेवरेज, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
21. श्री आशीष सूरी, मै. गणपति एसोशिएट, मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
22. श्री आनन्द पंवार, मै. पॉलिगॉन केमिकल्स प्रा. लि., मि.औ.आ. भटवाड़ीसैंण, रुद्रप्रयाग।
22. श्री अमित कुमार, मै. द टूरिया हैली रिसोर्ट, जामू रुद्रप्रयाग।